

न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लवाण जिला दौसा

पीटासीन अधिकारी का नाम :- श्री बडीनारायण मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 12/2024
(GCMS 2024/37)
प्रकरण दापर दिनांक :- 19.06.2024

लक्ष्मी देवी पत्नि राम किशोर मीना जाति मीना निवासी ग्राम मटवास तहसील लवाण
जिला दौसा राजस्थान।

(प्रार्थिया)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार लवाण, जिला दौसा राजस्थान
2. बैंक ऑफ बडीदा शाखा बनियाना जिला दौसा राजस्थान

(अप्रार्थीगण)


प्रार्थना पत्र धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत करवाये जाने पत्थरगढी

उपस्थिति:- श्री सुरेश चन्द शर्मा अधिक्रता।

:: आदेश ::

दिनांक : 12.07.2024

प्रार्थिया की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का दापर किया है कि प्रार्थिया की
निजी खातेदारी भूमि ग्राम ~~नेवपुर~~ ^{प्रवास} तहसील लवाण की जमावंदी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या
118 खसरा नम्बर 655 रकबा 0.0600 है0, खसरा नम्बर 663 रकबा 0.1300 है0, खसरा नम्बर
684 रकबा 0.1500 है0, खसरा नम्बर 685 रकबा 0.4900 है0, खसरा नम्बर 686 रकबा 0.
0500 है0, खसरा नम्बर 687 रकबा 0.1300 है0, खसरा नम्बर 688 रकबा 0.4300 है0 कुल
किता-7 कुल रकबा 1.4400 हैक्टर, खाता संख्या 117 खसरा नम्बर 689 रकबा 0.5000 है0


उप जिला कलेक्टर
लवाण

वाके ग्राम मटवास पटवार हल्का बनियाना भू-अभिलेख निरीक्षण

मे लक्ष्मी देवी



प्र.स.- 12 / 2024

(GCMS 2024/37)

दायर दिनांक 19.06.2024


निर्णय दिनांक :- 12.07.2024

कुल किता-1 कुल रकबा 0.500 हेक्टर बाके ग्राम मटवास तहसील लवाण में स्थित है। प्रार्थिया उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाना चाहती है। पत्थरगढी करवायी जाये।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बहस प्रार्थिया सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। आराजी खसरा नम्बर 655 रकबा 0.0600 है0, खसरा नम्बर 663 रकबा 0.1300 है0, खसरा नम्बर 684 रकबा 0.1500 है0, खसरा नम्बर 685 रकबा 0.4900 है0, खसरा नम्बर 686 रकबा 0.0500 है0, खसरा नम्बर 687 रकबा 0.1300 है0, खसरा नम्बर 688 रकबा 0.4300 है0 कुल किता-7 कुल रकबा 1.4400 हेक्टर, खाता संख्या 117 खसरा नम्बर 689 रकबा 0.5000 है0 भूमि प्रार्थिया की खातेदारी की है। इस बाबत तहसीलदार लवाण से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार लवाण ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.06.2024 में यह अंकन किया है कि पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। पत्थरगढी के आदेश दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारे विनम्र अभिमत में उक्त आराजीयात की सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किया जाना विधि संगत है।

तहसीलदार लवाण को निर्देश दिये जाते है कि उक्त आराजी पर अडोस-पडोस के खेतों में फसल सरसब्ज न होने पर अर्थात पडोस के खेत खाली होने पर नियमानुसार सीमांकन कर पत्थरगढी करावे। पत्थरगढी का व्यय प्रार्थिया स्वयं वहन करे। पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।


वद्रीनारायण मीना (आर.स.स.)
उप-जिला अधिकारी
लवाण

आदेश आज दिनांक 12.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।


उप-जिला अधिकारी
लवाण